शान्ति देवी

बनाम

सिक्किम राज्य व अन्य

सिविल अपील सं. 687/2008

25 जनवरी, 2008

(अशोक भान एवं अल्तमस कबीर, जे.जे.)

भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 226-रिट याचिका - अनुतोष - अनुदान - क्षैत्र - अवमानना प्रक्रिया - विधिक प्रक्रिया का दुर्पयोग - प्रार्थी तथा उसके पति द्वार किराये के परिसर में दकान चलाई जा रही थी - पति के पक्ष में व्यापार दुकान में चलाने के लिए अनुज्ञा पत्र जारी किया गया - पति की मृत्यू हो गई - प्रार्थीया द्वारा व्यापारिक अनुज्ञा पत्र अपने पक्ष में अन्तरण हेतु याचिका दायर की - प्रार्थीया पर एक लाख रूपये की खर्च राशि अधिरोपित करते हुए याचिका खारिज की गई - इसके अलावा प्रार्थीया को एक सप्ताह में किरायाशुदा परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया - एक सप्ताह की समाप्ति पर मकान मालिक ने प्रार्थीया के विरूद्ध अवमानना याचिका पेश की - अजमानतीय वारण्ट जारी किये गये - न्यायालय ने पुलिस को किरायेशुदा परिसर का कब्जा लेकर मकान मालिक को सुपुर्द करने का आदेश दिया - क्षैत्राधिकार - निर्णित : न्यायोचित नहीं है - उच्च

न्यायालय द्वारा प्रार्थीया की प्रार्थना पर एक रिट याचिका निर्णित की गई थी, न कि एक सिविल दावा जो उसके विरूद्ध बेदखली के लिए था और इस प्रक्रिया में बेदखली का कोई स्थायी आदेश नहीं दिया जा सकता था और निश्चित तौर पर प्रार्थीया के विरूद्ध नहीं दिया जा सकता था - उच्च न्यायाल के द्वारा ऐसी कोई विशेष परिस्थिति दर्ज नहीं की गई है कि प्रार्थीया पर इतनी भारी खर्च राशि क्यों अधिरोपित की गई थी - इसके अलावा अवमानना याचिका में शीघ्रता से आदेश पारित किया गया है और यह पूरी तरह से विधिक प्रक्रिया का दुर्पयोग है - उच्च न्यायालय के द्वारा यह भी सम्पूष्ट नहीं किया गया कि क्या अवमानना प्रक्रिया के नोटिस व्यक्तिगत रूप से तामील हुए हैं तथा प्रार्थीया के किसी जवाब का इन्तजार किये बिना यह निष्कर्ष निकाला गया कि न्यायालय की अवमानना की गई - परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय के द्वारा जो खर्च राशि प्रार्थीया के विरूद्ध अवमानना प्रक्रिया में अधिरोपित की गई है वो निरस्त की जाती है तथा मकान मालिक को प्रार्थीया का कब्जा बनाये रखने के निर्देश दिये जाते हैं - उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः विचारित - सिक्किम ट्रेड लाइसेंस तथा प्रोविजन रूल 1985 - आर 12 (एम)

प्रार्थी और उसका पति एक दुकान चला रहे थे जो किराए की जगह पर थी और प्रतिवादी के स्वामित्व में थी। दुकान का ट्रेड लाइसेन्स प्रार्थी के पति मैसर्स राम नाथ परसाद के नाम पर था। जब उसकी मृत्यू हुई तो

प्रार्थी ने (विधवा शान्ति देवी) दुकान को चलाना जारी रखा और उसने दिनांक 01-07-2004 को दुकान का ट्रेड लाइसेंस अपने नाम पर जारी करे के लिए आवेदन किया। सम्बन्धित अधिकारियों ने प्रतिवादी यानी मकान मालिक के एन.ओ.सी. के अभाव में ट्रेड लाइसेंस देने से मना कर दिया। प्रार्थी ने इसके बाद सिक्किम हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की कि उसके नाम पर ट्रेड लाइसेंस सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा जारी किया जाए और उसमें प्रतिवादी के एन.ओ.सी. की क्षमता को समाप्त किया जाए। साथ ही सिक्किम ट्रेड लाइसेंस और विविध के नियम 12 (एम) को रद्द किया जाये, क्योंकि वो तर्कसंगत एवं न्यायोचित नहीं है। माननीय हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को ठुकरा दिया एवं एक लाख रूपये का जुर्माना याचिकाकर्ता पर किया और साथ में याचिकाकर्ता को दुकान खाली एक हफ्ते के अन्दर करने का आदेश दिया। एक हफ्ते की समयावधि पूर्ण होने के अगले दिन दुकान मालिक ने प्रार्थी के खिलाफ कोर्ट के निर्णय की अवमानना करने का आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर की, जिसमें कोर्ट ने तत्परित संज्ञान लेतु हुए प्रार्थी को अगले दिन कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा। अगले दिन कोर्ट के समक्ष जब कोई भी प्रार्थी की तरफ से उपस्थित नहीं हुआ तो कोर्ट ने प्रार्थी के विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट इश्यू किया और साथ ही पुलिस महकमें को निर्देश दिया कि दुकान को अपने स्वामित्व में लेकर प्रतिवादी सं. 2 यानी मकान मालिक को दे दी जाए इसलिए वर्तमान अपील।

अपील की अनुमति देते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1. इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ना केवल उस फैसले में जो कि हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है, उसमें हस्तक्षेप करेगा बल्कि आर्टीकल 226, भारतीय संविधान के अन्तर्गत जो शक्तियाँ हाईकोर्ट को प्रदान की गई हैं, उसका अवलोकन भी करेगा। [पैरा 11] [314 जी, 315 ए]

2.1 जो मसला सर्वोपरी है वो यह है कि माननीय न्यायाधीशों ने जो कानून सिविल केसों में भूखण्डों के निष्कासन में उपयोग लाया जाता है, उसकी पूर्णतया पालना नहीं हुई और प्रार्थी को भूखण्ड (दुकान) का परित्याग कर दुकान मालिक को देने को कहा गया, जो न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत याचिका इस बात का उदाहरण है कि रिट कोर्ट किस तरह से वर्तमान समय में या तो भूलवश था या जानबूझकर उन राहतों को भूल गये हैं जो सिविल कोर्ट और संविधान कोर्टों द्वारा प्रदान की जा सकती है। माननीय न्यायाधीश फैसला करते समय यह देख नहीं पाये कि वो एक प्रार्थी की याचिका का निस्तारण कर रहे हैं, नाकि दुकान को खाली कराने की याचिका का जो कि प्रार्थी के विरूद्ध की गई हो और इसलिये दुकान खाली करने का निर्णय देना कदापि न्यायसंगत नहीं है और वो भी याचिकाकर्ता के खिलाफ वास्तव में न्यायाधीशों द्वारा याचिका निरस्त किए जाते वक्त एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया जाना तो निर्णय को और भी अनुचित बनाता है। और तो और याचिकाकर्ता को दुकान खाली करने को

कहना और वो भी तब जब वह पिछले तीस वर्षों से अपने पति के साथ उस स्थान पर व्यापार कर रही हो और वो भी एक हफ्ते के अन्दर निर्णयावधि से, इस निर्णय को और भी अतार्किक बनाता है। [पैरा 21] [320 ई एफ जी एच, 321 ए]

2.2 याचिका का निस्तारण करते हुए न्यायाधीशों का ध्यान इस बात से पूर्णतया हट गया था कि क्या रिलीफ याचिकाकर्ता द्वारा मांगा गया है और क्या उन्होने प्रतिवादी को प्रदान किया है। न्यायाधीशों का ध्यान इस बात से पूर्णतया हटा हुआ प्रतीत होता है कि केवल प्रतिवादी द्वारा एन.ओ.सी. लेने के अलावा याचिकाकर्ता ने सम्पूर्णतया सारे बिन्दुओं एवं जरूरी नियम एवं शर्तों का पालना किया। जिन संवैधानिक बिन्दुओं का जिक्र प्रार्थी द्वारा सिक्किम ट्रेड लाइसेंस एण्ड मिसलेनियस रूल 1985 के अन्तर्गत किया गया उनका उल्लेख माननीय न्यायाधीशों द्वारा याचिका का निस्तारण करते समय नहीं किया गया। [पैरा 22] [321 डी ई एफ जी]

2.3 अगर माननीय न्यायाधीशों का यह मत था कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मदद उसको प्रदान किये जाने योग्य नहीं है तो उन्हें केवल याचिका निरस्त कर देनी चाहिए थी, कुछ उचित कास्ट लगाके, अगर लगानी जरूरी थी तो। हम अब तक न्यायाधीशों की उस मनोदशा को समझने में असमर्थ रहे हैं जिसके तहत उन्होने याचिकाकर्ता पर एक लाख रूपये का भारी भरकम जुर्माना कर दिया। [पैरा 13] [315 सी डी ई]

3.1 जो बात इससे भी अधिक आश्चर्यचकित करती है और सोचने पर मजबूर करती है वो है अत्यधिक उत्सुकता एवं उतावलापन जो कि न्यायालय ने प्रतिवादी की याचिका के निस्तारण में अपनाया और जवाबावधि पूर्ण होने के अगले दिन ही प्रार्थी को दुकान खाली करने के लिए एक सप्ताह का समय देते हुए अपना फैसला सुनाया। [पैरा 14] [315 ई एफ]

3.2 जबकि याचिकाकर्ता को 03-07-2006 का समय दुकान खाली करने के लिए दिया गया था, उसके अगले ही दिन न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया कि वो न्यायालय के समक्ष उपलब्ध होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे। जो तारीखें दी गई थीं याचिकाकर्ता को, वो बताती हैं कि उन्हें किसी जल्दबाजी में दिया गया था ताकि प्रतिवादी को दुकान का स्वामित्व वादी के जवाब देने से पूर्व मिल जाए। [पैरा 15] [316 डी ई]

3.3 इस बात को पूर्णतया नजरअंदाज किया गया कि जो नोटिस वादी को अवमानना मामले में दिया गया था वो उसको प्राप्त हुआ या नहीं। इस बात को पूर्णतया पुष्टी करे बगैर कि प्रार्थी को नोटिस स्वयं प्राप्त हुआ या नहीं न्यायाधीशों ने कठोरतम निर्णय प्रार्थी के विरूद्ध पारित कर दिया। प्रार्थी को इस बात का समय भी नहीं दिया गया कि अपने उपर लगे अवमानना के आरोपों का जवाब दे पाए। [पैरा 17] [319 ए बी सी डी]

3.4 प्रार्थी ने अपने उपर लगे अवमानना के आदेश को स्टे के लिए जो कि 03-07-2006 को अवमानना कार्यवाही के तहत लगाये गये थे, उनके विरूद्ध याचिका में पूर्णतया स्पष्टता से बताया है कि क्यों उसकाे अवमानना के आदेश 04-07-2006 को प्राप्त नहीं हुए और क्यों वो 05-07-2006 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकी। याचिकाकर्ता ने बताया कि क्यों उसने छोटे से समयकाल में जो उसका प्रदान किया गया था न्यायालय के द्वारा दुकान खाली करने के लिए उसमें वो असमर्थ रही। उसे दिल्ली से यहां आकर विशेष अनुमति याचिका दायर करनी थी इस निर्णय के विरूद्ध। प्रार्थी ने यह भी बताया कि दिनांक 04-07-2006 को वो दिल्ली में थी और न्यायालय द्वारा प्रेषित अवमानना आदेश को नकारने और पालन नहीं करने का उसका कोई इरादा नहीं था। प्रार्थी की याचिका में इस तथ्य को भी इंगित किया गया है कि उसके बेटे द्वारा अवमानना आदेश प्राप्त हुआ था और उसके पश्चात उसके बेटे द्वारा उसका सूचित किया गया था। [पैरा 19] [390 ए बी सी डी]

3.5 उक्त तथ्यों को नजर रखते हुए यह कहा जा सकता है कि जो निर्णय अवमानना याचिका के उपर दिया गया था पुलिस महकमे को ताकि वो प्रतिवादी को दुकान का स्वामित्व प्रदान करवा सकें वो पूर्णतया न्याय प्रणाली के अनुरूप नहीं है और उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। [पैरा 20] [320 ए बी सी डी]

4.हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया जाता है और यह आदेश पारित किया जाता है कि इस मामले में नई सुनवाई प्रारम्भ की जाए। जिस मनमाने और गैरकानूनी तरीके से दुकान का स्वामित्व प्रतिवादी को दिया गया है उसके अन्तर्गत प्रतिवादी को आदेश दिया जाता है कि वो दुकान का स्वामित्व एक पखवाड़े के अन्दर प्रार्थी को प्रदान करे। इस रद्द मुकदमें में जो भी खर्चा आया है और अवमानना मुकदमें में जो भी जुर्माना लगाया गया था, उसे रद्द किया जाता है। [पैरा 23] [321 एच 322 ए बी]

सिविल अपीलीय क्षैत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 687/2008

सिक्किम उच्च न्यायालय के रिट पिटिशन (सी) नम्बर 24/2006 अन्तिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 26-06-2006 से।

मनीष गौस्वामी (मै. मेप एण्ट कं. की ओर से) अपीलार्थी की ओर से

अरूणा माथुर (मैं. अर्पुथम, अरूणा एण्ड कं. की ओर से) अप्रार्थी की ओर से

न्यायालय का निर्णय अल्तमस कबीर, जे. द्वारा पारित किया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह उन दुर्लभ मामलों में से एक है जिसमें अपील में दिया गया निर्णय न केवल हस्तक्षेप के योग्य है बल्कि आदेश के संबंध में कुछ टिप्पणियों की भी मांग करता है।

3. अपीलकर्ता और उनके पति, राम नाथ प्रसाद, पूर्वी सिक्किम के रानीपूल में प्रतिवादी नंबर 2 के स्वामित्व वाले किराए के परिसर में किराना-सह-स्टेशनरी की दुकान चला रहे थे। उक्त व्यवसाय को चलाने के लिए ट्रेड लाइसेंस मैसर्स राम नाथ प्रसाद के नाम पर था।

4. राम नाथ प्रसाद की मृत्यु 17.3.2004 को हो गई, जिससे उनकी विधवा शांति देवी, यहां अपीलकर्ता, को उक्त किराए के परिसर से व्यवसाय चलाने के लिए छोड़ दिया गया। अपीलकर्ता ने मैसर्स शांति एंटरप्राइजेज के नाम पर व्यवसाय चलाना जारी रखा और 1.7.2004 को उसने अपनी फर्म मेसर्स शांति एंटरप्राइजेज के नाम पर एक नया ट्रेड लाइसेंस जारी करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन किया। अत्यधिक सावधानी के लिए, 9.7.2004 को उन्होंने मौजूदा ट्रेड लाइसेंस को मैसर्स राम नाथ प्रसाद के नाम से मैसर्स शांति एंटरप्राइजेज में बदलने के लिए वैकल्पिक प्रार्थना के साथ एक आवेदन भी दायर किया।

5. यह उल्लेख किया जा सकता है कि उनके उक्त आवेदन से पहले प्रतिवादी नंबर 2-मकान मालिक ने 19.5.2004 को प्रतिवादी नंबर 1 को लिखा था कि राम नाथ प्रसाद की अवधि समाप्त हो गई थी और उपरोक्त

व्यवसाय के लिए मौजूदा व्यापार लाइसेंस नहीं होना चाहिए नवीनीकृत किया जाना चाहिए और उक्त परिसर के मालिक के रूप में उनकी क्षमता से अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना रामनाथ प्रसाद के पुत्रों के नाम पर कोई नया व्यापार लाइसेंस जारी नहीं किया जाना चाहिए।

6. 23.8.2004 को, संबंधित अधिकारियों ने अपीलकर्ता को सूचित किया कि मेसर्स राम नाथ प्रसाद के नाम पर जारी ट्रेड लाइसेंस को सिक्किम ट्रेड लाइसेंस और विविध के नियम 12 (एम) के तहत रद्द माना जाएगा। प्रावधान नियम, 1985, तत्काल प्रभाव से। उक्त निर्देश इस तथ्य के बावजूद दिया गया था कि ट्रेड लाइसेंस को मैसर्स राम नाथ प्रसाद के नाम से मैसर्स शांति एंटरप्राइजेज में स्थानांतरित करने के अपीलकर्ता के आवेदन पर नए लाइसेंस जारी करने के अपीलकर्ता के आवेदन के साथ निर्णय मैसर्स शांति इंटरप्राइजेज के नाम परलंबित था।

7. मैसर्स राम नाथ प्रसाद के नाम पर जारी ट्रेड लाइसेंस को रद्द करने के उक्त आदेश दिनांक 23.8.2004 से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने सिक्किम उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जो 2004 की रिट याचिका (सी) संख्या 32 थी। न्यायालय ने इस आधार पर कि विवादित आदेश अवैध था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, 14, 19 और 300 (ए) का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया था। दिनांक 23.8.2004 के उक्त आदेश को रद्द करने की प्रार्थना करने के अलावा,

अपीलकर्ता ने कुछ अन्य राहतों के लिए भी प्रार्थना की, जिसमें यह घोषणा भी शामिल है कि सिक्किम व्यापार लाइसेंस और विविध के नियम 12 (एम) के प्रावधान। प्रावधान नियम, 1985, मनमाने थे और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन थे और इन्हें रद्द किया जा सकता था।

8. उक्त रिट याचिका का निपटारा 15.9.2004 को प्रारंभिक चरण में ही कर दिया गया, जिसमें अपीलकर्ता या उसके किसी प्रतिनिधि को मार्गदर्शन के लिए राज्य सरकार के संयुक्त सचिव, लाइसेंस अनुभाग, शहरी विकास और आवास विभाग से मिलने की छूट दी गई। जिन आवश्यकताओं का अनुपालन करना आवश्यक था, उनके अनुपालन का मामला। संबंधित प्राधिकारी को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सूचना की तारीख से एक महीने के भीतर अपीलकर्ता के प्रतिनिधित्व का निपटान करने का निर्देश दिया गया था।

9. उच्च न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणियों के अनुसार, अपीलकर्ता ने 1.7.2004 को संबंधित प्राधिकारी को आवेदन दिया और अपने पत्र दिनांक 17.9.2004 द्वारा उक्त प्राधिकारी ने अपीलकर्ता को एक अलग ट्रेड लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया। जिन दस्तावेजों को जमा करना आवश्यक था उनमें से एक मकान मालिक/प्रतिवादी संख्या 2 से अनापत्ति प्रमाण पत्र था। चूंकि, अपीलकर्ता के अनुसार प्रतिवादी नंबर 2 उसे उक्त परिसर से बेदखल करने

पर आमादा था, उसने प्रतिवादी-प्राधिकरण को सूचित किया, कि प्रतिवादी नंबर 2 अपीलकर्ता को इस तरह का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए तैयार नहीं था और तदनुसार प्रार्थना की कि उसे इसे जमा करने से छूट दी जाए। इस तथ्य के बावजूद कि अपीलकर्ता ने अन्य सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया था और अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करने से छूट के लिए प्रार्थना की थी, प्रतिवादी प्राधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 14.10.2004 द्वारा अपीलकर्ता को सूचित किया कि ट्रेड लाइसेंस देने के लिए उसका अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता है। घर के मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में विचार किया गया। इसके बजाय, उसे 15.10.2004 से अपना व्यवसाय बंद करने का निर्देश दिया गया।

10. चूंकि प्रतिवादी नंबर 2/मकान मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना असंभव था, जो उसे प्रश्न में परिसर से बेदखल करने पर आमादा था, अपीलकर्ता ने एक नई रिट याचिका दायर की, जो कि रिट याचिका संख्या 24/2006 थी। सिक्किम उच्च न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, मैसर्स राम नाथ प्रसाद के पक्ष में जारी ट्रेड लाइसेंस को अपीलकर्ता को हस्तांतरित करने और साथ ही घर के मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकताओं को रद्द करने के लिए उसकी प्रार्थना को नवीनीकृत किया। सिक्किम व्यापार लाइसेंस और विविध के

नियम 12 (एम) के प्रावधान। प्रावधान नियम, 1985 मनमाना और अवैध है।

11. यह उक्त रिट याचिका का निर्णय है जिसने इस अपील को जन्म दिया है और न केवल इस न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है, बल्कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों के तरीके के संबंध में कुछ टिप्पणियां भी की हैं। संविधान का गलत इस्तेमाल किया गया है।

12. अपीलकर्ता, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों को मैसर्स राम नाथ प्रसाद के नाम पर ट्रेड लाइसेंस को मैसर्स शांति एंटरप्राइजेज में स्थानांतरित करने या वैकल्पिक रूप से जारी करने के निर्देश के लिए रिट याचिका दायर की थी। उसके पक्ष में एक नया ट्रेड लाइसेंस जारी करने के लिए न केवल एक लाख रुपये की लागत के साथ उसकी रिट याचिका को खारिज करने का आदेश दिया गया, बल्कि उसे एक सप्ताह के भीतर संबंधित परिसर को खाली करने का निर्देश देते हुए बेदखली का एक अनिवार्य आदेश भी दिया गया। आदेश की तारीख से।

13. हम यह देखे बिना नहीं रह सकते कि उक्त आदेश न केवल अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किया गया था, बल्कि कम से कम यह तो मनमाना और अविवेकपूर्ण भी था। यदि विद्वान न्यायाधीशों का विचार था कि रिट याचिकाकर्ता रिट याचिका में मांगी गई किसी भी राहत का हकदार नहीं है, तो उन्हें इसे उचित लागत पर खारिज कर देना चाहिए था, यदि

आवश्यक समझा जाता। हम विद्वान न्यायाधीशों की उस विचार-प्रक्रिया को समझने में असमर्थ हैं जिसके कारण उन्हें रुपये का जुर्माना लगाना पड़ा। रिट याचिका खारिज करते हुए एक लाख रु. विद्वान न्यायाधीशों द्वारा अपने आक्षेपित आदेश में ऐसी कोई विशेष परिस्थिति नहीं बताई गई है जिससे यह पता चले कि रिट याचिकाकर्ता पर इतनी भारी लागत लगाने की आवश्यकता क्यों थी।

14. इससे भी अधिक आश्चर्य और कुछ चिंता की बात यह है कि दिए गए अनिवार्य निर्देशों में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि की समाप्ति के अगले ही दिन प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दायर अवमानना याचिका पर आदेश पारित किए गए। विद्वान न्यायाधीशों ने अपीलकर्ता को आदेश की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्रश्नगत परिसर खाली करने का निर्देश दिया। विशेष अनुमति याचिका में अपीलकर्ता द्वारा दायर 2006 के आईएएनओ.1 में सामने आए तथ्यों से एक घिनौनी कहानी का पता चलता है कि कैसे न्यायिक प्रक्रिया का इस्तेमाल एक अवैधता को अंजाम देने के लिए किया गया था, जिसकी उत्पत्ति विद्वान न्यायाधीशों के निपटान के आदेश से हुई थी। अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका।

15. यह ध्यान दिया जा सकता है कि अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा करने का आदेश 26.6.2006 को पारित किया गया था और विद्वान न्यायाधीशों द्वारा अपीलकर्ता को किरायेदार परिसर को

खाली करने के लिए दी गई एक सप्ताह की अवधि 3.7.2006 को समाप्त हो गई थी। अवमानना याचिका प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा 4.7.2006 को दायर की गई थी और जिस दिन इसे दायर किया गया था उसी दिन तुरंत सुनवाई के लिए ले जाया गया और अपीलकर्ता को जवाब देने के लिए अगले ही दिन अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया। अवमानना याचिका में प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा लगाए गए आरोप। अपीलकर्ता को उपरोक्त निर्देश के अलावा, रानीपूल पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को अपीलकर्ता को 5.7.2006 को अदालत के समक्ष पेश करने के लिए एक और निर्देश दिया गया था। रजिस्ट्री को अवमानना याचिका के साथ आदेश की एक प्रति रानीपूल पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को देने का भी निर्देश दिया गया, ताकि वह इसे अपीलकर्ता को सौंप सकें और उसे अवमानना का जवाब दाखिल करने की स्वतंत्रता मिल सके। 5.7.2006 को ही आवेदन। इसलिए, उपरोक्त से यह स्पष्ट होगा कि जबकि अपीलकर्ता को किराए के परिसर को खाली करने के लिए 3.7.2006 तक का समय दिया गया था, अगले दिन अपीलकर्ता को अदालत के समक्ष उपस्थित होने और अपना जवाब दाखिल करने के आदेश पारित किए गए थे। अवमानना याचिका में लगाए गए आरोप, तारीखें उस जल्दबाजी के बारे में बताती हैं जिसके साथ अवमानना याचिका में आदेश पारित किए गए थे, जिसका प्रभाव यह सुनिश्चित करने में था कि प्रतिवादी नंबर 2 ने दुकान-कक्ष पर

कब्जा प्राप्त कर लिया, इससे पहले कि अपीलकर्ता उक्त आदेशों के खिलाफ उच्च मंच के समक्ष कोई कदम उठा सके।

16. मामले को और भी बदतर बनाने के लिए, 5.7.2006 को ही विद्वान न्यायाधीशों ने, सभी संयम बरतते हुए, एक आदेश पारित किया, जो पुनः प्रस्तुत करने योग्य है और इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> "दिनांक 04.07.2006 के आदेश के संदर्भ में इस न्यायालय के निर्देशों और आदेशों के बावजूद। 2006, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीमती शांति देवी इस न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा उन्हें दिए गए नोटिस को प्राप्त करने से बच रही हैं और इस प्रकार न केवल इस अवमानना मामले (सी) संख्या 03/2006 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2006 को बल्कि 26.06.2006 के आदेश की भी अवहेलना करते हुए खुद को फरार कर रही हैं। रिट याचिका (सी) संख्या 24 ऑफ 2006 में पारित हुआ। श्रीमती शांति देवी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। नोटिस को देखने से पता चलता है कि नोटिस श्रीमती शांति देवी के बेटे कामेश्वर प्रसाद को मिला था जो उक्त श्रीमती शांति देवी के साथ उसी घर में रह रहा है। इस स्तर पर, हमारा विचार है कि यह श्रीमती शांति देवी के रूप में

न्यायालय की अवमानना का स्पष्ट मामला है। शांति देवी ने रिट याचिका (सी) संख्या 2006 में 26.06.2006 को पारित इस न्यायालय के संबंधित आदेश और निर्णय की जानबूझकर अवहेलना की। यह उल्लेख किया जा सकता है कि उसे अवमानना मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 04.07.2006 के आदेश के अनुसार परिभाषित किया गया है। (सी) 2006 का क्रमांक 03।

इस मामले में अपना दिमाग लगाने और अवमानना के कानून की सख्ती से व्याख्या करने के बाद, हमारा मानना है कि श्रीमती शांति देवी ने इस न्यायालय की न्यायिक कार्यवाही में बाधा डाली और हस्तक्षेप किया। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस स्तर पर निम्नलिखित आदेश और निर्देश पारित करता है:

श्रीमती शांति देवी के खिलाफ गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट जारी किया जाए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पूर्व और उत्तर) इस निर्देश का तुरंत पालन करेंगे और श्रीमती शांति देवी को 07.07.2006 को प्रातः 10.30 बजे इस न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुलिस विभाग न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस

न्यायालय के आदेश का अनुपालन और कार्यान्वयन करने का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा, जिसके लिए इस आदेश की एक प्रति पुलिस महानिदेशक के साथ-साथ पुलिस अधीक्षक, पूर्वी जिला और संबंधित ओसी को भी भेजी जाएगी। रजिस्ट्री को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि याचिकाकर्ता राज्य से बाहर है, तो पुलिस प्राधिकरण श्रीमती शांति देवी की पेशी के लिए किसी अन्य राज्य या राज्यों के अपने समकक्ष से संपर्क करेगा। शांति देवी उपरोक्त तिथि और समय पर इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुईं।

मामले के मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, पूर्वी जिले को रानीपूल और जिले के आवेदक/याचिकाकर्ता श्री सुभाष कुमार प्रदान के परिसर में पड़ी वस्तुओं के रिसीवर के रूप में नियुक्त किया जाता है। कलेक्टर/मजिस्ट्रेट, पूर्व को उक्त परिसर में पाए गए ताले को तोड़ने और सार्वजनिक नीलामी द्वारा सभी वस्तुओं का निपटान करने के लिए अधिकृत किया गया है और इसकी बिक्री आय इस

न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा की जाएगी या वह इसे श्रीमती शांति देवी को सौंपने के लिए स्वतंत्र है। शांति देवी या उनके अधिकृत एजेंट या एजेंट उक्त परिसर का कब्जा तत्काल प्रभाव से संबंधित मालिक (श्री सुभाष कुमार प्रधान) को सौंप देंगे, जिसके लिए पुलिस विभाग सहयोग करेगा और इस न्यायालय के आदेश को निष्पादित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट, पूर्व को निर्देश दिया जाता है कि वे 3 (तीन) दिनों के भीतर उन सभी लेखों का निपटान करें और इस न्यायालय की रजिस्ट्री को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट, पूर्व को दो स्थानीय निवासियों की उपस्थिति में वस्तुओं की एक सूची तैयार करनी है और उक्त श्रीमती के अनुसार वस्तुओं को सार्वजनिक नीलामी में रखना है। संबंधित मुख्य रिट याचिका में उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में शांति देवी का दावा है कि कुछ सामान खराब होने वाले हैं और कुछ खराब होने वाले नहीं हैं। प्रारंभ में इस न्यायालय ने विद्वान महाधिवक्ता की सहायता ली जिन्होंने प्रस्तुत किया कि श्रीमती शांति देवी का आचरण,

शांति देवी का मामला वास्तव में न केवल संबंधित न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है बल्कि न्यायालय का भी अपमान है।

मामले को आवश्यक आदेशों के लिए 07.07.2006 को सूचीबद्ध किया जाए।

इस आदेश की एक प्रति सभी संबंधितों को भी भेजी जाये।

एसडी/-

(एन.एस.सिंह)

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

एसडी/-

(एपी सुब्बा) न्यायाधीश''

17. इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि अपीलकर्ता को नोटिस एक अवमानना आवेदन पर जारी किया गया था और कथित अवमाननाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से तामील किया जाना आवश्यक था, विद्वान न्यायाधीशों ने कठोर आदेश पारित करने से पहले यह सत्यापित भी नहीं किया कि अवमानना का नोटिस था या नहीं। कार्यवाही अवमाननाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से दी गई थी और ऐसी सेवा के बावजूद कथित

अवमाननाकर्ता नोटिस के संदर्भ में कार्य करने में विफल रहा था। जैसा कि 5.7.2006 के आदेश से स्पष्ट होगा, विद्वान न्यायाधीशों ने इस तथ्य को दर्ज किया कि अपीलकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ था और नोटिस के अवलोकन से यह देखा गया कि वह अपीलकर्ता के बेटे को प्राप्त हुआ था। इसके अलावा, अपीलकर्ता की ओर से किसी भी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना विद्वान न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह अदालत की अवमानना का एक स्पष्ट मामला है क्योंकि अपीलकर्ता ने जानबूझकर 26.06.2006 को पारित उच्च न्यायालय के आदेश और निर्णय की अवहेलना की थी। रिट याचिका इसके बाद जो कुछ हुआ वह अधिनायकवाद से कम नहीं है और न्यायिक कार्यवाही में निष्पक्ष खेल के सिद्धांतों की पूरी तरह से अवहेलना है। 5.7.2006 को अपीलकर्ता के खिलाफ गिरफ्तारी का एक गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था, जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पूर्व और उत्तर) को निर्देश दिया गया था कि अपीलकर्ता को 07.07.2006 को सुबह 10.30 बजे अदालत के समक्ष पेश किया जाए। पुलिस विभाग ने न्यायालय के आदेश को निष्पादित करने के लिए और उसकी एक प्रति पुलिस महानिदेशक के साथ-साथ पुलिस अधीक्षक, पूर्वी जिले को, संबंधित प्रभारी अधिकारी को भी भेजी थी। जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट (पूर्वी जिला) को अपीलकर्ता के किराए के परिसर में पड़ी वस्तुओं के रिसीवर के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसमें न केवल जिला मजिस्ट्रेट को बल्कि प्रतिवादी नंबर 2 को भी ताला तोड़ने का

अधिकार था। यदि कोई उक्त परिसर में पाया जाता है और सार्वजनिक नीलामी द्वारा सभी वस्तुओं का निपटान करना है। जिला मजिस्ट्रेट को ताले तोड़कर संबंधित परिसर का कब्जा प्रतिवादी नंबर 2 को सौंपने का भी निर्देश दिया गया।

18. अपीलकर्ता के किराएदार परिसर का कब्जा पूर्वोक्त आदेशों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 को उपरोक्त तरीके से सौंप दिया गया था।

19. इस समय यह ध्यान दिया जा सकता है कि अपीलकर्ता ने अवमानना कार्यवाही में 05.07.2006 को सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के लिए अपने आवेदन में काफी स्पष्ट रूप से बताया है कि अवमानना नोटिस क्यों नहीं दिया जा सका उसे 04.07.2006 को नोटिस भेजा गया, जिसके परिणामस्वरूप वह निर्देशानुसार 5.7.2006 को उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकी। अपीलकर्ता ने स्पष्ट किया है कि जिस कम समय सीमा के भीतर उसे किराए के परिसर को खाली करने का निर्देश दिया गया था, उसे ध्यान में रखते हुए, इस अपील को जन्म देते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए उसे तुरंत दिल्ली आना पड़ा। उसने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि 04.07.2006 को वह दिल्ली में थी और अवमानना नोटिस से बचने या उसकी अवज्ञा करने के उसके किसी जानबूझकर इरादे का सवाल ही नहीं उठता। अपने उक्त आवेदन में अपीलकर्ता ने इस तथ्य का भी

उल्लेख किया है कि उसके बेटे को अवमानना नोटिस मिला था और उसके बाद उसने दिल्ली में उसे फोन करके इसकी जानकारी दी थी।

20. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अवमानना आवेदन पर पुलिस अधिकारियों द्वारा कब्जा लेने और प्रतिवादी संख्या 2 को इसे सौंपने का निर्देश देने वाला आदेश, कानून की उचित प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग प्रतीत होता है। जिसे कतई कायम नहीं रखा जा सकता।

21. गंभीर चिंता की बात यह है कि विद्वान न्यायाधीशों ने बेदखली से संबंधित नागरिक कानून की पूरी तरह से अवहेलना की और रिट याचिकाकर्ता को उसकी रिट याचिका पर विभिन्न राहतों के लिए किराएदार परिसर का कब्जा प्रतिवादी नंबर 2 को सौंपने का निर्देश दिया। यह मामला इस बात का उदाहरण है कि हाल के दिनों में रिट अदालतें सिविल अदालतों और संवैधानिक अदालतों द्वारा दी जा सकने वाली राहतों के बीच की रेखा को या तो भूल गई हैं या उसे नजरअंदाज कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान न्यायाधीशों ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि वे रिट याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत के लिए एक रिट याचिका पर फैसला कर रहे थे, न कि उसके खिलाफ बेदखली के लिए एक सिविल मुकदमे पर और ऐसी कार्यवाही में बेदखली का कोई अनिवार्य आदेश पारित नहीं किया जा सकता था और निश्चित रूप से स्वयं रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध नहीं। वास्तव में, रिट याचिका को खारिज करते

समय एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने के बाद, विद्वान न्यायाधीशों ने रिट याचिकाकर्ता को आदेश की तारीख से एक सप्ताह के भीतर उस परिसर को खाली करने का निर्देश देकर चोट पर नमक छिड़क दिया, जहां वह लगभग तीस वर्षों से अपना व्यवसाय चला रही थी।

22. ऐसा प्रतीत होता है कि रिट याचिका पर निर्णय करते समय, विद्वान न्यायाधीशों ने अपना ध्यान रिट याचिका में मांगी गई राहतों से हटकर उसमें उत्तरदाताओं को क्या राहत दी जा सकती है, पर केंद्रित कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान न्यायाधीशों ने अपीलकर्ता की रिट याचिका पर बेदखली का एक अनिवार्य आदेश पारित किया है, जिसमें उसने अन्य बातों के साथ-साथ अधिकारियों को अपने पति के लिए एक नया व्यापार लाइसेंस जारी करने का निर्देश देने की प्रार्थना की थी। विद्वान न्यायाधीशों ने इसी तरह की राहत के लिए अपीलकर्ता द्वारा दायर पहले की रिट याचिका में पारित आदेश का हवाला दिया, जिसे अपीलकर्ता को अनुदान के लिए आवश्यकताओं के बारे में मार्गदर्शन के लिए संबंधित विभाग के संयुक्त सचिव से संपर्क करने के निर्देश के साथ निपटाया गया था। ट्रेड लाइसेंस का अनुपालन किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान न्यायाधीशों ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 2 से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता को छोड़कर सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया था, जो

उसे किराए के परिसर से बेदखल करने पर आमादा था जहां से वह भाग रही थी। उसका व्यवसाय विद्वान न्यायाधीशों ने आम तौर पर पाया कि अपीलकर्ता राज्य के पत्र दिनांक 17.9.2004 में निहित निर्देशों और नियमों और शर्तों का पालन करने में पूरी तरह से विफल रहा है। एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने और अपीलकर्ता को उसके किराए के परिसर को खाली करने और प्रतिवादी नंबर 2 को उसका कब्जा देने का निर्देश देने वाला आदेश इस तरह के अवलोकन का पालन करता है। सिक्किम व्यापार लाइसेंस और विविध प्रावधान नियम, 1985 के प्रावधानों के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए संवैधानिक मुद्दों पर रिट याचिका का निपटारा करते समय विद्वान न्यायाधीशों द्वारा न तो विचार किया गया और न ही संबोधित किया गया। वास्तव में, विद्वान न्यायाधीशों ने देखा है कि न्यायालय के लिए इस मामले की गहराई में जाना आवश्यक नहीं था क्योंकि रिट याचिका भारी लागत के साथ खारिज करने योग्य थी।

23. उपरोक्त परिस्थितियों में, हमें उच्च न्यायालय के दिनांक 26.6.2006 के आदेश को रद्द करने और उच्च न्यायालय को मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। जिस मनमाने और गैरकानूनी तरीके से परिसर का कब्जा प्रतिवादी नंबर 2 को दिया गया था, उसे ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह तारीख से एक पखवाड़े के भीतर अपीलकर्ता को परिसर का

कब्जा बहाल कर दे। आक्षेपित निर्णय द्वारा लगाई गई लागत और अवमानना कार्यवाही को भी रद्द कर दिया जाता है।

24. यह आदेश किसी भी पक्ष को अपनी राहत, यदि कोई हो, को उचित फोरम के समक्ष आगे बढ़ाने से नहीं रोकेगा।

25. तदनुसार, अपीलकर्ता को 25,000/- रुपये की लागत के साथ अपील स्वीकार की जाती है।

बी.बी.बी. अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी भावना भार्गव (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।